राजस्थान–सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

W-6, गौरव पथ, रेजिडेन्सी रोड, जोधपुर (राज.) फोन न.– 0291.2430440/2636572

क्रमांक :– एफ( )/प्राशिमं/सीमितबोली/2024–25/   दिनांक :

सीमित बोली संख्या 01/2024–25

निम्नलिखित कार्य को संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए करने हेतु अधिकृत ऐजेंसी/गैर सरकारी संगठन, जो कि इस प्रकार के कार्य संपादित कराने हेतु सक्षम विभाग से अधिकृत/पंजीकृत हो, से मुहरबंद सीमित बोली आमंत्रित की जाती है। बोली प्रपत्र दिनांक **25–09–2024** को **11–00 (ग्यारह) बजे** सुबह तक विकय किए जायेंगें तथा उसी दिन दोपहर 12.00 बजे तक बोली प्रस्ताव सीलबंद, मुहरबंद लिफाफों में प्राप्त किए जाकर दिनांक 25.09.2024 को ही तकनीकी बिड़ खोली जायेगी :–

क्र. सं	कार्य का विवरण	अनुमानित दर
1	तकनीकी शिक्षा मंडल का कार्यालय परिसर, ऊपर नीचे के बरामदें, विश्राम गृह, एवं शौचालयों की सफाई के कार्य हेतु (**संलग्न विवरण** के अनुसार) एक वर्षीय दर संविदा करना।	**रू 1,95,000/- प्रति वर्ष** (EPF, ESI, सामग्री, सेवा शुल्क एवं जीएसटी आदि करों सहित)

शर्तेः–

1. फर्म को उपरोक्त सफाई कार्य के लिये तीन सफाई कर्मचारियों से प्रतिदिन सुबह 8.30 से दोपहर 12.30 बजे तक संलग्न सफाई व्यवस्था कार्य क्षेत्र अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा।
2. अधिनिर्णय/कार्यादेश जारी होने की तिथि से 7 दिन के भीतर रू 500/– (रूपये पांच सौ) मात्र के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प परं बोलीदाता को अनुबंध करना होगा।
3. बोलीदाता को रूपये 4000/– (रूपये चार हजार) मात्र बोली प्रतिभूति(Bid security) राशि के रूप में बोली प्रस्तुत करते समय जमा कराने होगें। सफल बोलीदाता को रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र कार्य संपादन प्रतिभूति(Performance security) जमा कराने होगें। समस्त देय राशियां जरिये डिमाडं ड्राफ्ट/बैंकर चैक जमा करायी जा सकेगी जो किसी विधि मान्य बैंक द्वारा जोधपुर में देय होकर "सचिव, प्राविधिक शिक्षा मंडल, जोधपुर" के पक्ष में जारी किया गया हो। सफल बोलीदाता जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को समायोजित कर कार्य संपादन प्रतिभूति की शेष राशि रूपये 6000/– को भी इसी भांति जमा करायेंगें।
4. बोली दो चरणों में प्राप्त की जावेगी। प्रथम तकनीकी बोलीएव द्वितीय वित्तीय बोली ।
   बोलीदाता को परिशिष्ट (अ) में तकनीकी बिड पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी । तकनीकी बोली में सफल होने पर ही उस फर्म की वित्तिय बोली खोली जावेगी। अतः बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि तकनीकी बोली में परिशिष्ट (अ) के बिन्दू संख्या 1 से 7 की पूर्ति कर अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें।
5. बोलीदाता द्वारा GST आदि समस्त कर सम्मिलित करते हुऐं दरें बोली के परिशिष्ट (ब) पर दी गई वित्तीय बोली की सारणी में अंकित की जानी है। बोलीदाता को इन दरों के अतिरिक्त किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जावेगा। वित्तीय बोली पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। **दोनों लिफाफों के ऊपर तकनीकी /वित्तीय बोली पृथक–पृथक लिखा जावे, तत्पश्चात तकनीकी बोली के लिफाफे एवं वित्तीय बोली के लिफाफे को एक अन्य बडे लिफाफे में डालकर, इस बडे लिफाफे को कार्यालय में निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट स्थान पर जमा कराया जायेगा। बडे लिफाफे पर शीर्षक के रूप में बोली संख्या व कार्य का विवरण संक्षेप में लिखा जाये एवं इस बड़े लिफाफे को बोलीदाता फर्म की मुहर लगाकर सीलपैक कर मंडल कार्यालय में दस्ती जमा कराया जायेगा।**
6. बोली फार्म के शुल्क के रूप में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) मात्र देय होंगे, जिसे रोकड़पाल के पास जमा करवाकर बोली प्रपत्र (Bid Form) कय किया जा सकेगा। एसपीपीपी पोर्टल से डाउनलोड करके भी बोली प्रपत्र (Bid Form) प्रयुक्त किया जा सकेगा तथापि ऐसी स्थिति में भी बोली प्रपत्र के शुल्क की देयता यथावत् रहेगी। बोली प्रपत्र के शुल्क को उक्त बिन्दु 3 में वर्णित अनुसार डीडी/बैंकर चैक द्वारा भी जमा कराया जा सकेगा।

संलग्न– बोली की अन्य शर्ते एवं सफाई कार्य का विवरण।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

क्रमांक :– एफ( )/प्राशिमं/सीमितबोली/2024–25/ 5151   दिनांक 12 SEP 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 मुख्य लेखाधिकारी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर

2 रोकड़पाल, कार्यालय हाजा. को विकय हेतु मांग अनुसार निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्कादि नकद जमा कर बोली प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु।

3 श्री सूर्यकांत, सहायक प्रोग्रामर को एसपीपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

4 नोटिस बोर्ड, मंडल कार्यालय/निदेशालय पर चस्पा किए जाने हेतु।

Signature valid
Digitally signed by Alok Bansal
Designation : Joint Director
Date: 2024.09.12 10:03:07 IST
Reason: Approved

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

बोली की अन्य शर्ते

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
2. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही बोलियों में भाग लेने हेतु अर्हक होगें।
3. संविदा अवधि में संविदा कार्य निष्पादन के दौरान कर्मचारी की दुर्घटना या मृत्यु हो जाने की दशा में समस्त जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी। जिसके लिये सामूहिक बीमा बोलीदाता को अपने स्तर पर कराना होगा एवं दुर्घटना की समस्त जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी। फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि नियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।
4. श्रमिको को नियोजित किये जाने वाले बोलीदाता को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व होगा। सरकार द्वारा होने वाली न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी का वहन भी बोलीदाता द्वारा किया जावेगा। किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान बोलीदाता को इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
5. संवेदक द्वारा उपलब्ध मानव संसाधन की सेवायें 4 घन्टे से कम वाले दिनों के लिए मजदूरी की गणना अनुमोदित दरों की 50 प्रतिशत के अनुसार की जायेगी।
6. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में किया जायेगा एवं इसका विवरण प्रत्येक माह संवेदक द्वारा उपापन संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। इसकी संतुष्टि उपरांत ही फर्म/संवेदक द्वारा भुगतान किए गऐ बिल को पुनर्भरण हेतु पारित किया जायेगा।
7. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जायेगा। करार अवधि में न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि होने पर संवेदक को, श्रमिकों को बढी हुई दर से अन्तर राशि का स्वयं से भुगतान करना होगा।
8. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की दरों के अनुसार नियोजित श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। इसमें श्रमिक एवं संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा प्रत्येक माह जमा अंशदान के चालान की प्रति उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी। जिसकी पुष्टि उपरान्त ही आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
9. संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेगें, जिससे उपापन का विवरण हेल्पलाईन नम्बर, शिकायत करने सम्बंधी प्रावधान स्पष्ट रूप से अंकित होगें।
10. समस्त करों का दायित्व संवेदक का होगा। मजदूरी पर जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगी। संवेदक द्वारा प्रतिमाह जी.एस.टी. का भुगतान किया जायेगा। जिसके प्रमाण रूपरूप चालान की प्रति उपापन संस्था को प्रस्तुत करनी होगी। इसकी पुष्टि उपरान्त ही आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
11. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं एवं जारी दिशा निर्देश की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा।
12. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के बीच कोई विवाद होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेवारी संवेदक की होगी। उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से एवं निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। नियोजित श्रमिकों को 240 दिन पूर्ण करने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों को हटाने, नोटिस वेतन, मुआवजा आदि देने का उत्तरदायी संवेदक का होगा।
13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कारित घटना के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/मुआवजा देने/ई.एस.आई कराने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने आदि की जिम्मेवादी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेवादी नहीं होगी।
14. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होने का कोई प्रकरण पाये जाने पर उपापन संस्था अनिवार्य रूप से श्रम विभाग को सूचित करेगी तथा आवश्यकता होने पर संवेदक को विवर्जित (Debar) करने की कार्यवाही करेगी।
15. अपूर्ण बोली फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा। एक ही बोली दाता द्वारा एकाधिक बोली प्रस्तुत करने पर उसे Conflict of interest समझा जायेगा एवं तदनुसार बोली अस्वीकार की जा सकेगी।
16. यह बोली प्रकिया राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं सपठित नियम 2013 के प्रावधानो के अंतर्गत है। साथ ही, यह बोली सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली के नियमों, प्रावधानों एवं समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेशों, परिपत्रों एवं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहेगी।
17. समस्त न्यायिक विवादों का वाद क्षेत्र जोधपुर शहर(राजस्थान) होगा।

बोलीदाता फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय फर्म की मुहर

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

Signature valid
Digitally signed by Alok Bansal
Designation: Joint Director
Date: 2024.09.12 16:03:07 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर

मण्डल के सम्पूर्ण कार्यालय की सफाई कार्य का विवरण

क्र.सं.	सफाई का विवरण	कार्य का दिन व समय सुबह 8.30 से दोपहर 12.30 बजे तक	विशेष विवरण
1	जमीन तल की सफाई	प्रतिदिन	झाड़ू, वाईपर, फिनाईल पोचा सहित
2	प्रथम तल की सफाई	प्रतिदिन	झाड़ू, वाईपर, फिनाईल पोचा सहित
3	बोर्ड का विश्राम गृह की सफाई	प्रतिदिन	झाड़ू, वाईपर, फिनाईल पोचा सहित
4	बगीचे की सफाई	प्रतिदिन	झाड़ू
5	सभी कक्षों की सफाई	प्रतिदिन	झाड़ू, वाईपर, फिनाईल पोचा सहित
6	खुले प्रांगण व साईकल स्टेण्ड की सफाई	प्रतिदिन सुबह 8.30 से दोपहर 9.00 बजे तक	झाड़ू, तगारी व फावडा सहित
7	मण्डल के सभी शौचालयों / TOILET की सफाई	प्रतिदिन सुबह 9.00 से 10.00 बजे तक दोपहर 12.00 बजे से 12.30 बजे तक	सम्पूर्ण सामग्री (फीनाईल, तैजाब, साबून, सर्फ, ब्रुश, वाईपर, कपूर की गोली सहित) सामान्य शौचालय की सफाई दिन में दो बार की जावेगी
8	सचिव महोदय कक्ष	प्रतिदिन झाड़ू व पोचा सहित	सम्पूर्ण सामग्री (फीनाईल, तैजाब, साबून, सर्फ, ब्रुश, वाईपर, कपूर की गोली सहित)
9	रजिस्ट्रार महोदय कक्ष		
10	दरवाजे एवं खिडकियों मय कांच की सफाई व पुस्तकालय की पुस्तकें व अलमारियों की सफाई	माह में एक बार	पोचा, ब्रुश सहित
11	कुलर की सफाई	माह में एक बार	बाल्टी, मग व पोचा सहित
12	सभी कमरों, हॉल व बरामदों के जाले की सफाई	माह में एक बार एवं आवश्यकतानुसार	लम्बा झाड़ू, जाला हटाने वाला ब्रुश सहित
13	सभी कमरों व हॉल के छत पंखे, स्वीच बोर्ड, घडीयों, दीवार पंखे व ट्यूबलाईट, पेलमेट व रोशनदान की सफाई	माह में एक बार	आवश्यकतानुसार सामग्री सहित
14	कांफ्रेश हॉल की सफाई	माह में एक बार एवं आवश्यकतानुसार	मिटिंग व कार्यशालाओं के आयोजन के एक दिवस पूर्व
15	छत की सफाई	माह में एक बार	बरसात के दिनों में छत की नालियों की सफाई
16	सिवरेज लाईन चॉक होने पर दुरस्त करना	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार सामग्री सहित
17	मक्खी, मच्छर को भगाने हेतु कीटनाशक	माह में एक बार	कीटनाशक दवाई का छिडकाव व फोगिंग

Signature valid

Digitally signed by Alok Bansal
Designation: Joint Director
Date: 2024.09.12 10:03:07 IST
Reason: Approved

बोलीदाता फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय फर्म की मुहर

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

परिशिष्ट 'अ'

तकनीकी बिड

(इसे समस्त दस्तावेजों, बोली दस्तावेज आदि सहित 'तकनीकी बिड' के लिफाफे में प्रस्तुत करें)

<u>सीमित बोली संख्या 01/2024–25</u>

1. बोलीदाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण आदि का विवरण **सत्यप्रतियों सहित** निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा :–

क्र.सं.	विवरण	रजिस्ट्रेशन संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	पृष्ठ संख्या जिस पर दस्तावेज संलग्न किया जाए
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970	–	**यह प्रावधान लागू नहीं है।**		–
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी)				
5	आयकर पेन नम्बर				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

2. कार्य अनुभव का विवरण (प्रति संलग्न करें) ....
3. संवेदक की वित्तिय स्थिति का विवरण (लागु हो तो प्रति संलग्न करें)...
4. बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम मय IFSC कोड (प्रति संलग्न करें)..
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण की प्रति (प्रति संलग्न करें) ....
6. बोली प्रतिभूति राशि जमा का विवरण (प्रति संलग्न करें) ....
7. बोली शुल्क जमा का विवरण (प्रति संलग्न करें) ....

नोटः–

1. समस्त की पूर्ति आवश्यक है, किसी भी प्रविष्टि को रिक्त नहीं छोड़ा जाये।
2. इस ''तकनीकी बिड'' प्रपत्र के साथ समस्त बोली दस्तावेज, वांछित प्रमाण–पत्रों की प्रतियां आदि संलग्न कर प्रत्येक पृष्ठ पर नंबर अंकित करते हुए पृष्ठ संख्या उक्त तालिका में दर्ज करें।
3. समस्त पृष्ठों पर निर्दिष्ट स्थान पर बोलीदाता फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय फर्म की मुहर अंकित किया जाना अनिवार्य है।

Signature valid

Digitally signed by Alok Bansal
Designation : Joint Director
Date: 2024.09.12 16:03:07 IST
Reason: Approved

बोलीदाता फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय फर्म की मुहर

परिशिष्ट – (ब)

वित्तिय बोली

<u>सीमित बोली संख्या 01/2024–25</u>

बोलीदाता द्वारा निम्न तालिका के कॉलम संख्या 10 से 13 की पूर्ति की जायेगी –
(किसी भी कॉलम् को खाली नहीं छोड़े)

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होगी (श्रम विभाग की राजपत्र में प्रकाशित अधि. दि. 31.08. 2023)				प्रतिदिन चार घंटे कार्य करने पर राशि प्रति माह	प्रति माह E.P.F दर= कॉलम् (7) का 13%	प्रति माह E.S.I दर = कॉलम् (7) का 3.75 %	G.S.T @18%	योग (7+8+9+10)	सामग्री व उपकरण किराए की राशि*	सर्विस चार्ज (मार्जिन मनी) **	कुल योग राशि प्रति माह (तीन श्रमिको के लिए) (11+12 +13)
		श्रमिकों की श्रेणी	न्यूनतम दर	श्रमिकों की संख्या	राशि प्रति माह								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	तकनीकी शिक्षा मंडल का कार्यालय परिसर, ऊपर नीचे के बरामदें, विश्राम गृह, एवं शौचालयों की सफाई का कार्य	अर्द्ध कुशल	297/- प्रतिदिन 7722/- प्रतिमाह	3	23166	11583	1506	434	2434.14	15957.14			

*, ** **नोटः–** जीएसटी की देयता इस कार्यालय की ईपीएफ व ईएसआई की हिस्सेवार देय राशियों सहित समस्तं भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत की दर से है, अतः उक्त कॉलम संख्या(12) में सामग्री व उपकरण किराए की राशि एवं कॉलम संख्या (13) में सर्विस चार्ज (मार्जिन मनी) को जीएसटी की राशि सहित अंकित किया जाये। **<u>इसमें भरी गयी राशि में जीएसटी को भी सम्मिलित कर लिया गया है, ऐसा समझा जाएगा।</u>**

बोलीदाता फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर मय फर्म की मुहर

Signature valid
Digitally signed by Alok Bansal
Designation: Joint Director
Date: 2024.09.12 16:03:07 IST
Reason: Approved